

‘मेरे घर में कोई नकदी नहीं मिली, यह मुझे फंसाने की साजिश है’

जस्टिस डी.के. उपाध्याय की इन्क्वायरी रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमें नकदी मिलने की कोई सूचना नहीं दी गई

नई दिल्ली, 23 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आधिकारिक आवास पर मारी मात्रा में नकदी होने से इनकार किया है।

उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा कि उनके आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में रुपए बरामदगी की सूचनाएं उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश की तरह होने का दावा किया।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट (जिसके कुछ हिस्से पर काली स्याही लगी होने की वजह से अस्पष्ट है) में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी उस स्टोररूम (जहां 14 मार्च 2025 की रात आग लगने की घटना हुई थी) में कोई नकदी या मुद्रा जमा कर रखी थी।

उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना हाल ही में हुई घटनाओं के एक क्रम का

■ **जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय द्वारा दी गई पूछताछ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।**

■ **जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा, स्टाफ क्वार्टर के पास बने स्टोर रूम, जहाँ कोई भी आ जा सकता है, वहाँ नकदी जमा करना नितांत अविश्वसनीय है।**

हिस्सा है, जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप भी शामिल हैं।

जांच के दौरान न्यायाधीश वर्मा ने अपने आवास पर हुई आग की घटना के दृश्य होने दावा करने वाले वीडियो दिखाए जाने पर कहा, मैं वीडियो की सामग्री देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं मिला था, जैसा कि मैंने देखा था....यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश लग रही थी।

उन्होंने कहा कि यह बताया जाना कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास बने आउटहाउस में खुलने वाले आसानी

से सुलभ और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोररूम में नकदी जमा करेगा, यह बात अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है।

उन्होंने कहा कि वास्तव में, यह इस बात से और पुष्ट होता है कि जब अग्निशमन कर्मियों और पुलिस के घटनास्थल से चले जाने के बाद हमें स्टोर रूम वापस किया गया तो वहां कोई नकदी या मुद्रा नहीं थी। इसके अलावा हमें मौके पर की गई किसी भी बरामदगी या जब्ती के बारे में सूचित नहीं किया गया। मौके पर कथित रूप से मिली मुद्रा को हटाने के आरोप के संबंध में उन्होंने कहा, केवल एक चीज जिसे हटाया गया वह मलबा और वह चीज थी जिसे वे

बचाने योग्य मानते थे,वह अभी भी घर में मौजूद है और उसे आवास के एक हिस्से में अलग रखा हुआ देखा जा सकता है।

शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना ने विवाद सामने आने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उपाध्याय को इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जवाब में 21 मार्च को न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा, मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। तदनुसार, मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति उपाध्याय की इसी रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाते शनिवार 22 मार्च 2025 को तीन विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय जांच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजीव चंद्रशेखर होंगे, केरल भाजपा के नए अध्यक्ष

तिरुवनंतपुरम, 23 मार्च। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, के सुरेन्द्रन की जगह केरल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नये अध्यक्ष होंगे। सुत्रों ने रविवार को बताया कि पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रल्हाद जोशी ने राज्य भाजपा की कोर कमेट्री की बैठक की अध्यक्षता की।

चंद्रशेखर दोपहर तीन बजे से पहले भाजपा राज्य समिति कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन की

■ **वे के. सुरेन्द्रन की जगह लेंगे।**

जांच शाम चार बजे होगी। नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा सोमवार को राज्य समिति की बैठक के बाद की जाएगी।

चंद्रशेखर पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ा था।

‘वक्फ विधेयक संविधान पर हमला है’

नयी दिल्ली, 23 मार्च। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ विधेयक के ज़रिए संविधान पर एक और सोचा समझा हमला किया है तथा इससे देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार का उद्देश्य बहु-धार्मिक समाज के सामाजिक सद्भाव को तोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम

■ **कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करना चाहती है।**

कर चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा के आधार पर विकसित अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है और वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के लिए बिना किसी कारण के मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटाया जा रहा है। साथ ही, वक्फ को जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के और ज्यादा सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।

वन रक्षक पेपर लीक केस, एसओजी ने दो और महिला वन रक्षकों को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी पार्षद को कोर्ट ने 9 दिन के रिमांड पर भेजा

जयपुर, 23 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में गिरफ्तारपूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी पार्षद को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी.के सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा में दर्ज प्रकरण में 12 मार्च को गिरफ्तार आरोपित कंवरायाम जाट निवासी बाड़मेर से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित एन डी सारण वॉलंट आरोपित जबरायाम जाट के सम्पर्क में था।

गिरफ्तार आरोपित एन डी सारण से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा बाड़मेर से उदयपुर पेपर पड ने के लिए

■ **पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व पूर्व कांग्रेसी पार्षद एन.डी. सारण से पूछताछ के आधार पर एसओजी ने वन रक्षक सीमा और टिमो को गिरफ्तार किया। दोनों ने 6-6 लाख रूपए में सारण से पेपर खरीदा था।**

आए अभ्यर्थियों व हेण्डलर के बारे में एवं उसकी ईनेवा कार को लेकर आए ड्राईवर के बारे में भी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में अंब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तारी किया जा चुका है। एनडी सारण को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परीक्षा से पूर्व पेपर पड ने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है।एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी.के सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में परीक्षा से पूर्व पेपर पड ने वाली 22 वर्षीय सीमा कुमारी निवासी सिवाना जिला बालोतरा हाल वनरक्षक रेंज बालोतरा व 24 वर्षीय टिमो निवासी बीजड़ा जिला बाड़मेर हाल वनरक्षक रेंज चौहटन को बाड़मेर स्थानीय पुलिस एवं एसओजी टीम जोधपुर के सहयोग से गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला

बांसवाड़ा की ओर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों परिचयों में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने की जानकारी होने पर प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसकी जांच एसओजी राजस्थान, जयपुर की ओर से की जा रही थी। इस प्रकरण में 22 मार्च 2025 को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष महाविद्यालय बाड़मेर व पूर्व कांग्रेस पार्षद को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पूछताछ में सामने आया कि वन रक्षक परीक्षा का पेपर उदयपुर में अपने दलाल के मार्फत सीमा कुमारी और टिमो की परीक्षा से पूर्व पड गया था जिसकी एवज में 6-6 लाख रुपये दोनों वनरक्षकों से प्राप्त किये थे।

संभल हिंसा, जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया

संभल, 23 मार्च। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर, जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर दंगा कराने का आरोप है। हालांकि, चंडीसी कोर्ट में पेशी के दौरान जफर अली ने कहा, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है।

पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया। करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की, पूछताछ

■ **जामा मस्जिद के सदर, ज़ाफर अली को सुबह उनके घर से उठाया गया, 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप है।**

के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर दूर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद इलाके में तैनात है। एसपी केके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)